कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।

OFFICE OF THE CHIEF DEVELOPMENT OFFICER, BULANDSHAHR

पत्रांक 3074/पं०/SBM-(G)/DC-SLWM/2025-26 दिनांक 26 सितम्बर, 2025

समस्त,
खण्ड विकास अधिकारी,
सहायक विकास अधिकारी(पं०),
जनपद बुलन्दशहर।

विषय- ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के समय से खोले जाने तथा केयरटेकर के मानदेय के नियमित भुगतान के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव महोदय, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1/1064537/2025 दिनांक 10.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक शौचालय समय से नहीं खोले जाते हैं, प्रायः सामुदायिक भवनों में ताला बन्द पाया जाता है। साथ ही यह भी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं कि सामुदायिक शौचालयों के केयरटेकर्स को मानदेय का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है।

2- पंचायतीराज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव एवं संचालन की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1798/33-3-2020-31/2019 दिनांक 15.07.2020 के माध्यम से की गयी है। उक्त शासनादेश में सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव का कार्यदायित्व स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्य पर होने वाले पूरे वर्ष का व्यय अधिकतम 02 किश्तों में (वर्ष के प्रथम माह व 06 माह बाद) स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराने का प्राविधान है। पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्धारित समय पर धनराशि स्वयं सहायता समूहों को दिये जाने के बाद भी केयरटेकर का भुगतान लम्बित रखा जाना आपत्तिजनक है।

3- शासन के संज्ञान में लाया गया है कि स्वयं सहायता समूहों के गठन, संचालन एवं अनुश्रवण आदि का दायित्व ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

4- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ-सफाई एवं रख-रखाव की व्यवस्था, केयरटेकरों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये तथा ग्राम पंचायत द्वारा उनके स्वयं सहायता समूह को समयान्तर्गत भुगतान किया जाये तथा समूह द्वारा भुगतान प्राप्त होने के 01 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार सम्बन्धित केयरटेकर के खाते में उनका मानदेय हस्तान्तरित कर दिया जाये, अन्यथा की दशा में उस समूह को दोषी मानते हुये उसके विरूद्ध कार्यवाही किया जाये।

5- मुख्यालय स्तर पर पंचायतीराज निदेशालय में एक पोर्टल, सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव, केयरटेकरों के मानदेय के समयान्तर्गत भुगतान के प्रभावी अनुश्रवण हेतु विकसित किया जाये, जिसमें सामुदायिक शौचालय खोलने की साप्ताहिक फोटो, केयरटेकर के मानदेय का पूर्ण विवरण एवं निरीक्षण की व्यवस्था की रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाये। इस पोर्टल पर यह भी उल्लिखित हो कि फण्ड ट्रान्सफर किस स्तर पर और कब हुआ? इस पोर्टल पर मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उपायुक्त, (एन0आर0एल0एम0) की पहुँच होगी। पोर्टल पर सामुदायिक शौचालय के सम्बन्ध में शिकायत करने की भी व्यवस्था की जाये। मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ-सफाई एवं रख-रखाव की व्यवस्था, केयरटेकरों की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के समयान्तर्गत भुगतान की मॉनीटरिंग प्रतिमाह करें।

6- जनपद स्तर पर भी सामुदायिक शौचालय को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ-सफाई एवं रख-रखाव की व्यवस्था, केयरटेकरों की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के समयान्तर्गत भुगतान की समीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठकों में किया जाये। जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उपायुक्त, (एन0आर0एल0एम0) इस तथ्य की पृथक-पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा कितने समूहों का भुगतान किया जा चुका है और कहाँ-कहाँ भुगतान किया जाना अवशेष है तथा समूह द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित केयरटेकर्स का भुगतान किया गया है और कितने केयरटेकर्स का भुगतान किया जाना अवशेष है? जिलाधिकारी द्वारा डी0सी0 एन0आर0एल0एम0 को निर्देशित कर दिया जाये कि जिन ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह द्वारा सामुदायिक शौचालय के समय से खुलवाने, साफ-सफाई

Scanned with OKEN Scanner

एवं रख-रखाव में कमी पाये जाने पर आवश्यकतानुसार उसी स्वयं सहायता समूह के अन्य केयरटेकर का या किसी अन्य स्वयं सहायता समूह का चयन कर लिया जाये।

7- विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा भी सामुदायिक शौचालय को नियमित रूप खुलवाने, उसकी साफ-सफाई एवं रख-रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के समयबद्ध भुगतान का अनुश्रवण पाक्षिक समीक्षा बैठक में करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर्स के मानदेय का भुगतान नियमानुसार समय से हो जाये। यदि कोई समूह या केयरटेकर कार्य नहीं करती है तो यह सचिव की जिम्मेदारी होगी कि उक्त के सम्बन्ध में लिखित रूप से उपायुक्त (एन.आर.एल.एम.) को अवगत करायेंगे। यदि सचिव द्वारा लिखित रूप से अवगत नहीं कराने एवं सामुदायिक शौचालय बन्द पाये जाने की स्थिति में या केयरटेकर द्वारा कार्य न करने की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाये।

8- ग्राम पंचायत द्वारा सहायता समूह को धनराशि हस्तान्तरित न करने पर ग्राम स्तर पर सचिव, ग्राम पंचायत जिम्मेदार होगा एवं जनपद स्तर पर यह जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी। समूह से केयरटेकर को भुगतान न होने की दशा में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व उपायुक्त (एन.आर.एल.एम.) का होगा एवं उक्त दोनों परिस्थितियों में विलम्ब होने पर जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन की मंशा के अनुरूप उपरोक्तानुसार दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु त्वरित आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप खुलवाने, उसकी साफ-सफाई एवं रख-रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के समयबद्ध भुगतान के सम्बन्ध में प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/विलम्बता/प्रतिकूल परिस्थिति संज्ञान में आने पर सम्बन्धित का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

(निशा)
मुख्य विकास अधिकारी,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
4. उपनिदेशक (पं0), मेरठ मण्डल, मेरठ।
5. उपायुक्त (एन.आर.एल.एम.), बुलन्दशहर।
6. जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, बुलन्दशहर।
8. अपर जिला पंचायत राज अधिकारी/नोडल अधिकारी, SBM-G, जनपद बुलन्दशहर।
9. समस्त ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव, जनपद बुलन्दशहर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ द्वारा सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पं0)।

मुख्य विकास अधिकारी,
बुलन्दशहर।

Scanned with OKEN Scanner

एवं रख-रखाव में कमी पाये जाने पर आवश्यकतानुसार उसी स्वयं सहायता समूह के अन्य केयरटेकर का या किसी अन्य स्वयं सहायता समूह का चयन कर लिया जाये।

7- विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा भी सामुदायिक शौचालय को नियमित रूप खुलवाने, उसकी साफ-सफाई एवं रख-रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के समयबद्ध भुगतान का अनुश्रवण पाक्षिक समीक्षा बैठक में करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक शौचालयों के केयरटेकर्स के मानदेय का भुगतान नियमानुसार समयबद्ध हो जाये। यदि कोई समूह या केयरटेकर कार्य नहीं करता है तो यह सचिव की जिम्मेदारी होगी कि उक्त के सम्बन्ध में लिखित रूप से उपायुक्त, (एन0आर0एल0एम0) को अवगत करायेंगे। यदि सचिव द्वारा लिखित रूप से अवगत नहीं कराने एवं सामुदायिक शौचालय बन्द पाये जाने की स्थिति में या केयरटेकर द्वारा कार्य न करने की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाये।

8- ग्राम पंचायत द्वारा समयबद्ध समूह को धनराशि हस्तान्तरित न करने पर ग्राम स्तर पर सचिव, ग्राम पंचायत जिम्मेदार होंगे एवं जनपद स्तर पर यह जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी। समूह से केयरटेकर को भुगतान न होने की दशा में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व उपायुक्त, (एन0आर0एल0एम0) का होगा एवं उन दोनों परिस्थितियों में विलम्ब होने पर जनपद स्तर पर उक्त स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन की मंशा के अनुरूप उपरोक्तानुसार दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें, जिससे सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप खुलवाने, उसकी साफ-सफाई एवं रख-रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के समयबद्ध भुगतान के सम्बन्ध में प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/विलम्बता/प्रतिकूल परिस्थिति संज्ञान में आने पर सम्बन्धित का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

(ह0)
मुख्य विकास अधिकारी
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
4. उपनिदेशक (पं0), मेरठ मण्डल, मेरठ।
5. उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0), बुलन्दशहर।
6. जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, बुलन्दशहर।
8. अपर जिला पंचायत राज अधिकारी/नोडल अधिकारी, SBM-G, जनपद बुलन्दशहर।
9. समस्त ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव, जनपद बुलन्दशहर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ द्वारा सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पं0)।

मुख्य विकास अधिकारी,
बुलन्दशहर।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0, लखनऊ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: सितम्बर, 2025

विषय– ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के समय से खोले जाने तथा केयर टेकर के मानदेय के नियमित भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक शौचालय समय से नहीं खोले जाते हैं, प्रायः सामुदायिक भवनों में ताला बन्द पाया जाता है। साथ ही यह भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर्स को मानदेय का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है।

2– पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव एवं संचालन की व्यवस्था शासनादेश संख्या–1788/ 33-3-2020-31/2019 दिनांक 16 जुलाई 2020 के माध्यम से की गई है। उक्त शासनादेश में सामुदायिक शौचालयों के रख रखाव का कार्य दायित्व स्वंय सहायता समूह के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। भुगतान के संबंध में इस कार्य पर होने वाले पूरे वर्ष का व्यय अग्रिम रूप 02 किश्तों में (वर्ष के प्रथम माह व 6 माह बाद) स्वंय सहायता समूह को उपलब्ध कराने का प्राविधान है। पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित समय पर धनराशि स्वंय सहायता समूहों को दिए जाने के बाद भी केयरटेकर का भुगतान लम्बित रखा जाना आपत्तिजनक है।

3– शासन के संज्ञान में लाया गया है कि स्वंय सहायता समूहों के गठन, संचालन एवं अनुश्रवण आदि का दायित्व ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उनकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव की व्यवस्था, केयरटेकरों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय तथा ग्राम पंचायत द्वारा उनके स्वयं सहायता समूह को समयबद्ध भुगतान किया जाय तथा समूह द्वारा भुगतान प्राप्त होने के 01 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार सम्बन्धित केयरटेकर के खाते में उनका मानदेय हस्तांतरित कर दिया जाय। अन्यथा की दशा में उक्त समूह को दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही किया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

5– मुख्यालय स्तर पर पंचायतीराज निदेशालय में एक पोर्टल, सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव, केयरटेकर्स के मानदेय के समयबद्ध भुगतान के प्रभावी अनुश्रवण हेतु विकसित किया जाय। जिसमें सामुदायिक शौचालय खोलने की साप्ताहिक फोटो, केयरटेकर के मानदेय का पूर्ण विवरण एवं निरीक्षण की व्यवस्था की रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाय। इस पोर्टल पर यह भी उल्लिखित हो कि फण्ड ट्रान्सफर किस स्तर पर और कब हुआ? इस पोर्टल पर मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मण्डलीय उप निदेशक(पं0), जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उपायुक्त, (एन.आर.एल.एम.) की पहुँच होगी। पोर्टल पर सामुदायिक शौचालय के संबंध में शिकायत करने की भी व्यवस्था की जाए। मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के समयबद्ध भुगतान की मॉनीटरिंग प्रतिमाह करें।

6– जनपद स्तर पर भी सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के समयबद्ध भुगतान की समीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठकों में किया जाय। जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उपायुक्त, (एन.आर.एल.एम.) इस तथ्य की पृथक–पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा कितने समूहों का भुगतान किया जा चुका है और कहां–कहां भुगतान किया जाना अवशेष है, तथा समूह द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर संबंधित केयरटेकर्स का भुगतान किया गया है और कितने केयरटेकर्स का भुगतान अवशेष है? जिलाधिकारी द्वारा डी.सी. एन.आर.एल.एम. को निर्देशित कर दिया जाय कि जिन ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह द्वारा सामुदायिक शौचालय को समय से खुलवाने, साफ–सफाई एवं रख–रखाव में कमी पाए जाने पर आवश्यकतानुसार उसी स्वयं सहायता समूह के अन्य केयरटेकर का या किसी अन्य स्वयं सहायता समूह का चयन कर लिया जाय।

7– विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा भी सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ–सफाई एवं रख–रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के समयबद्ध भुगतान का अनुश्रवण पाक्षिक समीक्षा बैठक में करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर के मानदेय का भुगतान नियमानुसार समयबद्ध हो जाय। यदि कोई समूह या केयरटेकर कार्य नहीं करता है तो यह सचिव की जिम्मेदारी होगी कि उक्त के संबंध में लिखित रूप से उपायुक्त (एन.आर.एल.एम.) को अवगत करायेंगे। यदि सचिव द्वारा लिखित रूप से अवगत नहीं कराने एवं सामुदायिक शौचालय बन्द पाए जाने की स्थिति में या केयरटेकर द्वारा कार्य न करने की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

Scanned with OKEN Scanner

9— ग्राम पंचायत द्वारा समय समूह को धनराशि हस्तांतरित न करने पर ग्राम स्तर पर सचिव, ग्राम पंचायत जिम्मेदार होगा एवं जनपद स्तर पर यह जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी। समूह से केयरटेकर को भुगतान न होने की दशा में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व, उपायुक्त, (एन.आर.एल.एम.) का होगा एवं उन दोनों परिस्थितियों में विलम्ब होने पर जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 10-09-2025
17:53:31

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक— तदैव।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त।
5. निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0।
6. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
7. नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
8. मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
9. उपायुक्त, (एन.आर.एल.एम.)
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Rajesh Kumar Tyagi
Date: 10-09-2025
17:4...

(राजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

Amit Khurana

Scanned with OKEN Scanner